न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर (राज.)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना आई.ए.एस

अपील संख्याः 119/2014 एल.आर.एक्ट

बलदेवसिंह पुत्र मखनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एमएम धरिंगेवाली तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।

...... अपीलांट

बनाम

1. हरदयालसिंह पुत्र मक्खनसिंह जटसिख नि0 चक 2एमएम धरिंगेवाली तह0श्रीकरणपुर जिलाश्रीगंगानगर
2. मु0 चनणकौर बेवा मक्खनसिंह जटसिख नि0 चक 2एमएम धरिंगेवाली तह0श्रीकरणपुर जिलाश्रीगंगानगर
3. मु0 परमजीतकौर पुत्री मक्खनसिंह जटसिख नि0 चक 2एमएम धरिंगेवाली तह0श्रीकरणपुर जिलाश्रीगंगानगर
4. मु0 कुलदीपकौर पत्नी मक्खनसिंह पत्नी नरेन्द्रसिंह जटसिख नि0 गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
5. मु0 चरणजीतकौर पुत्री मक्खनसिंह पत्नी गुरमीतसिंह जटसिख नि0 चिड़ेवान तहसील मुक्तसर जिला फरीदकोट – (पंजाब)
6. अंग्रेजसिंह पुत्र मक्खनसिंह जटसिख नि0 चक 2एमएम धरिंगेवाली तह0श्रीकरणपुर जिलाश्रीगंगानगर
7. गुरमेलसिंह पुत्र मक्खनसिंह जटसिख नि0 चक 2एमएम धरिंगेवाली तह0श्रीकरणपुर जिलाश्रीगंगानगर
8. निहालसिंह पुत्र मक्खनसिंह जटसिख नि0 चक 2एमएम धरिंगेवाली तह0श्रीकरणपुर जिलाश्रीगंगानगर (मृतक)
9. ग्राम पंचायत धरिंगेवाली तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

.........रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सुरेश कुमार शर्मा : अभिभाषक अपीलान्ट ।

निर्णय

दिनांक 26.12.19

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 1/2000 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 23.3.02 जिसके द्वारा मक्खनसिंह के जायज वारिसान के नाम विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया, के विरूद्व पेश हुई है।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि चक 2एमएम तहसील श्रीकरणपुर के खातासं04,74,91,93 व 94 में मक्खनसिंह पुत्र सोभासिंह जटसिख के नाम खातेदारी की राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । मक्खनसिंह के फौत होने पर पटवारी हल्का द्वारा उनके वारिसान के नाम से इन्तकाल सं0219 दर्ज कर सरपंच, ग्रा.पं. 2 एमएम के समक्ष प्रस्तुत किया, जो ग्राम पंचायत ने आदेश दिनांक 23.7.90 द्वारा रकबा विवादग्रस्त मानते हुए उक्त इन्तकाल खारिज कर दिया । तत्पश्चात गत जमाबन्दी के खाता सं0 91 की 18.07 बीघा भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के आदेशानुसार वसीयत अनुसार

संभागीय आयुक्त बीकानेर

नामान्तरकरण सं0220 दिनांक 23.8.90 उपसरपंच धीरंगावाली द्वारा स्वीकृत किया गया । प्रकरण में नामान्तरकरण सं0219 एवं नामान्तरकरण सं0220 दिनांक 23.8.90 के चक 2 एमएम तहसील करणपुर के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं0 1ता5 द्वारा उप जिला कलक्टर, श्रीकरणपुर केसमक्ष अपील सं0 6/91 व 7/91 प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 16.3.98 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार श्रीकरणपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि हितबध्द पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय प्रदान करें। उपखण्ड न्यायालय श्रीकरणपुर के उक्त निर्णय दिनांक 16.3.98 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर में अपील सं0 30/98 व 31/98 अनवान बलदेवसिंह बनाम हरदयालसिंह वगैरह प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 27.3.2000 द्वारा खारिज कर दी गयी । प्रकरण में तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा दर्ज किये गये रिमाण्ड प्रकरण सं0 1/2000 में निर्णय दिनांक 23.3.02 द्वारा खातेदार मखनसिंह की चक 2एमएम में स्थित भूमि मु0नं0 4 की 1.00 बीघा व 6 व 8 की 18.07 बीघा नहरी खाता सं079 पुराना नया की भूमि जायज वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके विरुध्द अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3. अभिभाषक अपीलान्ट का बहस में मुख्य रुप से कथन है कि तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीकरणपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.3.02 निरस्त फरमाया जावे ।

4. हमने अभिभाषक अपीलान्ट के कथन को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । यह अपील न्यायालय तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण सं0 1/2000 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 23.3.02 के विरुध्द प्रस्तुत होकर विचाराधीन है । अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में सुनवाईका कोई अवसर प्रदान नहीं किया । जबकि रिमाण्ड प्रकरण में रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 के जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रति अभिभाषक अपीलान्ट को दी गयी थी, किन्तु उसके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र का कोई उत्तर नहीं देने पर प्रकरण में रेस्पोंडेंट अभिभाषक द्वारा लिखित बहस पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा रिकॉर्ड के आधार पर मक्खनसिंह के जायज वारिसान के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया जाने का आदेश दिया है । हम उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार, श्रीकरणपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.3.02 यथावत रखा जाता है ।

5. तद्नुसार अपील निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.12.19 लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2020.01.14 13:53:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: